

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 66/2018

1- बजरंगदास पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं
जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता--

1-श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुड़ी अधिवक्ता अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का,
सुनारी बनाम बजरंगदास मु० नं० 63/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.

आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक 23.01.2019

अपीलान्त की ओर से निम्न अपील पेश है :-

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी में
दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी बजरंग

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)




दास पुत्र श्री गणेशदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज० ने खसरा नम्बर 304 रकबा 00.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि गौचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो कि शामिल पत्रावली की गई।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एवम् अवलोकन किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गै० मु० गौचर रकबा 00.04 बीघा भूमि पर बजरंग दास पुत्र श्री गणेशदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज० द्वारा गौचर की भूमि पर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि बजरंगदास पुत्र श्री गणेशदास जाति स्वामी निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किया जाने पर रा० भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू में मु० न० 63/2018 दर्ज कर नियमानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम बजरंग दास) में अतिक्रमी माना जाकर बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45 रुपये का 50 गुणा जुर्माना 05 रुपये के आदेश पारित किये हैं।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं० 304 किस्म गै० मु० गौचर रकबा 00.04 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:-

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डवाना (नागौर)



—: अपील के आधार :—

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अभाव में निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अभाव में निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली प्राप्त नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं। अतः अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

यह है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है, उस स्थान पर अपीलान्त के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने हुए हैं तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1000 में आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आबादी भूमि विस्तार के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
खसरा (नागौर)


उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार
अधीनस्थ रहकर रहवास करते आ रहे है। जिससे भी अधिनस्थ
अपील अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढियों से अपने रहवासी
मकानात रहे है तथा अपने रहवासी मकानात में बिजली पानी जैसी
सुविधाओं के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे है। जिससे भी
अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलार्थी के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई
मकानात जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है, एक मात्र
मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को
सामान्य कारण के ही वेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की
समस्याओं को कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड फोड कर
दिया जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन
करने पड़े मजबुर हो जावेगें। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई
आदेश नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही
अपीलार्थी के विरुद्ध ड्रॉप किया जाना न्याय हित में है।

अपीलार्थी हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर विना कोई नाप चौक
का मन्तरना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्त के विरुद्ध धारा
133 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की है, जो मौके पर विना कोई
नाप चौक से नाप चौक किये ही तहसीलदार महादय के समक्ष रिपोर्ट
दिया जा कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये
जाने योग्य है।

अपीलार्थी के मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का
अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त
किये जाने योग्य है।


अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
लाडनू (न्याय)



1. यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।


2. यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर न्यायद पेश है।

अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है के दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.04 बीघा गैर मु0 गोचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू द्वारा अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जुर्माना रूपये 05/- अक्षरे रूपये पांच का अर्थदण्ड आरोपित किया गया तथा बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनू को दिया अपना जवाब में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजो के समय से बने हुवे है तथा विजली पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा आबादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर से भी आबादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है।



2
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बीकाना (नागौर)

गौचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर. आर. के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा न ही गौचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्ट को चुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.9.18 को अपना जवाब पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की, रिपोर्ट दिनांक 5.07.18 में भी बजरंग दास पुत्र गणेश दास को मकान व दिवार बनाने पर मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी बताया गया है। तथा अतिक्रमण मुतनाजा भूमि आबादी विस्तार भूमि से बाहर खसरा संख्या 304 किरम गै0मु0 रोदार में स्थिति बताया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

∴ आदेश ∴

अतः अपीलान्ट की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।



(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)